International Journal of Advance and Applied Research

www.ijaar.co.in

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328

Peer Reviewed Bi-Monthly

Vol.4 No.22 May-June 2023

महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: (घरेलू हिंसा के विशेष संदर्भ मे) एक अध्ययन।

Dr. Poornima Devendra Bairagi
Assistant professor, Shri Indubhai Seth Law College Dahod.
Corresponding Author- Dr. Poornima Devendra Bairagi
Email- Poornima.abhay@gmail.com

सारांश

महिलाओ की स्थति ने पिछले कुछ सदियो मे बड़े बदलावो का सामना किया है प्राचीन काल मे पुरुषो के साथ बराबरी की स्थति से लेकर मध्य युगीन काल मे निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारको द्वारा समान अधिकारो को बढ़ावा दिये जाने तक ,भारत मे महिलाओ का इतिहास काफी गतिशील रहा है । महिलाओ के प्रति इस इतिहास को देखते हुए ही शायद भविष्य की भी कल्पना कर ली गयी होगी । अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किए गए प्रयासो मे श्रीमती हंसा मेहता द्वारा यू एन मे स्त्रियो को अधिकारो की आवाज का प्रतिनिधित्व किया जाना अपने आप मे सरहनीय कदम रहा।यूएन ,एनसीआरबी,डबल्यूएचओ यू एन वुमन आदि संस्थाओ द्वारा समय समय पर जारी आकडे वस्तुस्थती बाया करते है। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण (घरेलू हिंसा के परिपेक्ष्य)मे अंतर राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासो यथा - विभिन्न अभिसमय ,यूएन घोषणा पत्र ,विभिन्न सम्मेलन आदि का अध्ययन करता है। । इस शोध पत्र मे द्वितीय स्त्रोत यथा ,पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, संपादित ग्रंथों व इंटरनेट आदि का समावेश किया गया है।

शब्द कुंजी; -यू.एन. वुमन , अभिसमय ,यूएन घोषणा पत्र ,सम्मेलन, यू.डी.एच.आर. 1948

प्रस्तावना अंतर्राष्ट्रीय

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां स्त्री ने अपना परचम ना लहराया हो । युद्ध का मैदान,खेल,साहित्य ,राजनीति ,विज्ञान ,प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं अपनी कुशलता का परिचय देते हुए दिखाई देती है मिशन मंगलयान इसका उदाहरण है किंतु विडंबना है की जहां दुनिया चांद पर घर बनाने की ओर अग्रसर है वही इतनी योग्यता होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आज भी दोयम दर्जे पर खड़ी नजर आती है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के उदाहरण हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं यथा महाभारत मैं जब द्रोपदी का दुशासन द्वारा बालों से खींच कर भारी सभा में लाया जाना और उसे दुर्योधन द्वारा अपमानित किया जाना । वही सभा मे बैठे भीष्म पितामाह द्वारा मौनरहकर घरेलू हिंसा को मौन समर्थन कहा जा सकता है । पितृसत्तात्मक सोच के चलते महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में वृद्धि हमें आज भी 21वीं सदी में भी देखने को मिलती है मानसिक, शारीरिक ,आर्थिक प्रताड़ना घरेलू हिंसा में सम्मिलित की गई है भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को समानता,स्वतन्त्रता,गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है ऐसे में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कहीं न काही इस अधिकार के निर्विरोध उपयोग में बाधा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मानव को मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो उनसे कोई भी संस्था छीन नहीं सकती प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकार की रक्षा करें उन्हें वह अधिकार मुहैया कराएं जिनके वे अधिकारी है। ऐसे में घरेलू हिंसा पीड़िता के मानव अधिकारों,संवेधानिक अधिकारो एवं कानूनी अधिकारो का हनन करती महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस तरह महिलाओ कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है किस तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून संधिया के बावजूद भी महिलाओ के प्रति हिंसा की खबरे आए दिन कई अखबारों मे सुर्ख़ियो मे रहते है ।क्या वाकई में यह महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने में यह प्रयास सफल हुए हैं ?

महिलाओ के प्रति हिंसा निवारण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास

महिलाओं के लिए समानता का मुद्दा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1946 में महिलाओं की स्थिति के बारे में आयोग के गठन के समय से ही संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का मुख्य विषय रहा है चार्टर की प्रस्ताव मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा द्वारा मौलिक मानवाधिकार, मानव की गरिमा ,एवं मूल्य तथा सभी छोटे-

बड़े राष्ट्रों द्वारा महिला एवं पुरुषों के समान अधिकार में विश्वास व्यक्त किया गया।[1]

संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है चार्टर के अनुच्छेद 1,8,13 ,55 (ब),62(2) और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील है।संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना जिसे 1945 मे व्यावहारिक रूप दिया गया जो एक प्रमुख केंद्र बना जो महिलाओं के अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर आंदोलन करने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के मानवाधिकारों को विकसित करने, स्थापित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न अभीसमय और घोषणाओं के अतिरिक्त जमीनी स्तर पर विकसित किए गए संघात्मकढांचे के माध्यम से भी प्रयास कियागया ।समाज में महिला और पुरुषों के बीच समानता के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अनेकोंअभिसमय तथा घोषणाएं, अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौतों के माध्यम से उन अधिकारों की पालना करवाई गई

यह अभिसमय और संधिया इस प्रकार है-

1) **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र -10 दिसंबर1948**

अनुच्छेद 1, व 2में समानता के अधिकार को समाहित किया गया है। अनुच्छेद 22,27 में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को शामिल किया गया है तथा 28 से सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

2) **महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की घोषणा 1979**

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया । 3 सितंबर 1981 से क्रियान्वित समझौते को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव रोकने के लिए निम्नलिखित प्रतिबद्धता जाहिर की गई अपनी वैधानिक व्यवस्था में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता के सिद्धांत का समावेश करना तथा उन सभी कानूनों को समाप्त करना जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का समर्थन करते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिए न्यायाधिकरण तथा अन्य लोक संस्थाओं की स्थापना करना व्यक्ति संगठन तथा उद्यमों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति। इस तरह हम देखते हैं कि यह अभिसमय उन सभी उपायों को समावेशित करता है जिनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन, शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य ,विवाह एवं परिवार में भेदभाव को मिटाता है ।जिसकी झलक हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,19,21,में दिखाई देती है।

3) **विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय (1957)**- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 जनवरी 1957 में विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया यह अभिसमय 11 अगस्त 1958 से क्रियान्वित हुआ तथा भारत ने मई 15 1957 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।इसके अंतर्गत विवाह के पश्चात भी पत्नी को अपनी नागरिकता बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। उसे न तो अपने राज्य की नागरिकता विहीन होना होगा ना ही उस पर अपने पति की राष्ट्रीयता आरोपित की जाएगी[2]

4) **विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु, एवं विवाह के पंजीकरण पर अभिसमय (1962)**- बाल विवाह जैसी कुरीतियों का रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 नवंबर 1962 को विवाह की आयु एवं विवाह के पंजीकरण से संबंधित अभीसमय पर हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस अभीसमय का क्रियान्वयन 9 दिसंबर 1964 को हुआ। इस समझौते के अनुसार राज्य पक्षकार विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करें एवं किसी सक्षम सत्ता द्वारा प्रदान किए गंभीर कारणों जो कि पति और पत्नी के हित में हो कुछ छोड़कर न्यूनतम आयु के अंतर्गत संपन्न हुए विवाह को मान्यता प्रदान न की जाए। इसी संदर्भ में भारत में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को देखा जा सकता है इसके बावजूद इसके भारत में अभी भी बाल विवाह पूर्ण रूप से खत्म हो गया है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा के रूप में बाल विवाह जेसी कुरीतियां देखी जा सकती है। यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान में 700 मिलियन महिलाएं बाल विवाहिता है।

5) **विश्व सम्मेलन**-संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया तथा उस

---

[1]सिंह एम.के .एवं कुमार आशुतोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, नई दिल्ली कल्पना पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स, 2003 पृष्ठ 140

[2]पलाई अरुण कुमार भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : गठन कार्य और भावी परिदृश्य नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन 1999. पृष्ठ 182)

के उपलक्ष्य में महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन मेक्सिको में आयोजित किया गया इसके पश्चात तीन और विश्व सम्मेलन कोपेनहेगन 1980,नैरोबी 1985 तथा बीजिंग 1995 में किए गए।

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 (मेक्सिको सम्मेलन) - प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का महिला कल्याण के लिए प्रथम प्रयास था[3] इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975 से 85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इस सम्मेलन में स्त्री शिक्षा ,महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने,लिंग आधारित भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को शामिल करने, सामान राजनीतिक सामाजिक एवं नागरिक अधिकार देने आदि के लिए घोषणा की गई साथ ही संचार व सूचना के प्रचार माध्यमों द्वारा स्त्री की बदलती और विस्तृत होती भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रयुक्त किए जाने पर बल दिया गया।

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 1980 कोपनहेगन सम्मेलन- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए तथा अगले 5 वर्षो की योजना बनाने के लिए कोपेनहेगन में वर्ष 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए 3 उप विषय शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य जोड़े गए मेक्सिको में घोषित उद्देश्य कोपनहेगन के लिए सार्थक माने गए और शेष दशक के कार्यान्वयन कार्यक्रम का आधार भी बने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारिवारिक स्थानीय राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं व पुरूषों दोनों में महिलाओं की भूमिका से संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात कही गई।[4]

तृतीय विश्व सम्मेलन 1985 नैरोबी सम्मेलन - इस सम्मेलन का आयोजन 15 जुलाई से 26 जुलाई 1985 को किया गया। महावर सुनील राज्य एवं महिला मानवाधिकार जयपुर पॉइंटर पब्लिशर्स पृष्ठ 75 नैरोबी में तृतीय विश्व सम्मेलन में महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु निर्धारित उद्देश्यों के बारे में बताते हैं कि-इस सम्मेलन मे निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है –

1) कानूनी सुधारों के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा ,अपनी पसंद का विवाह एवं तलाक देने के अधिकारों को देने की बात कहते हैं
2) महिलाओं में अपने सामाजिक आर्थिक राजनैतिक-सामाजिक एवं पारिवारिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए तथा विकासशील देशों की महिलाओं को भी विकसित देशों की महिलाओं के उन्नत जीवन स्तर तक लाने के प्रयास किए जाएं
3) लड़कियों को लड़कों के समान शैक्षणिकता के स्तर पर लाने हेतु सुविधाएं दी जाएंतथा रूढ़िगत लिंग आधारित पाठ्य चर्चा का उन्मूलन किया जाए।

चतुर्थ विश्व बीजिंग घोषणा में 189 सरकार के प्रतिनिधियों ने बीजिंग घोषणा और कार्य मंच का अनुमोदन किया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आने वाली बाधाएं समाप्त करना है।

यूनिसेफ- यूनिसेफ विकासशील देशों में बच्चों और माताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता पहुंचाती है यह संस्था युद्ध हिंसा और शोषण की शिकार स्त्रियों एवं बच्चों की पीड़ा मिटाने के लिए शिक्षा,सलाह मशविरा और देखभाल उपलब्ध कराने वाली विशेष परियोजना का समर्थन देती है। यूनिसेफ लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले भेदभाव और रीति-रिवाजों की समाप्ति में सहायता देने के लिए वचनबद्ध है।

महिलाओं की प्रास्थिति संबंधी आयोग--यूएन वीमन (UN-WOMEN)

यह आयोग महिलाओं की समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूएन वीमन(UN-WOMEN)का गठन किया गया था यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है इसकी प्राथमिकताओं में महिलाओं एवं बालिकाएं सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त हो शामिल है।[5]

निष्कर्ष एवं सुझाव

अनादिकाल से महिलाओ के प्रति हिंसा का इतिहास अनेक उतार-चढ़ाव का साक्षी रहा है। इसमे कोई संदेह नहीं है की महिलाये अपने प्रति होने वाली हिंसा से डट कर लड़ी है जिसमे उन्हे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सस्तर पर पूर्ण

[3]कांत मीरा ,महिला दशक और हिंदी पत्रकारितानई दिल्ली क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी1994 पृष्ठ 26

[4]कांत मीरा ,महिला दशक और हिंदी पत्रकारितानई दिल्ली क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी1994 पृष्ठ 26

[5]www.civilhindipedia.com postesd on October 22nd,2020

सहयोग मिला भी है। विभिन्न अभिसमय सम्मेलन इस बात का समर्थन करते है। बावजूद इसके अभी भी महिलाओ की स्थती संतोषजनक नहीं कही जा सकती। दुनिया भर में 3 में से 1 महिला द्वारा यौन मारपीट या अंतरंग साझेदार द्वारा हिंसा का सामना किया गया। स्रोत:विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैश्विक रूप से महिलाओं की कुल होने वाली हत्याओं में से 38% हत्याया पुरुष अंतरगसाझेदार द्वारा की जाती है स्रोत:विश्व स्वास्थ्य संगठन । 49 देशों में अभी भी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानूनों का अभाव है । जबकि 39 देशों में बेटी और बेटों के लिए समान उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है ।[6] ये समस्या कई दशको से अनसुलझी है । महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा को एक सामाजिक समस्या के रूप मे ,पारिवारिक मुद्दे के रूप मे जाना जाता रहा है ये समस्या वेश्विक है तो समाधान भी वेश्विक स्तर पर किया जाना चाहिए । जिसकी पहली पहल समाज और परिवार से शुरू करनी होगी । पुरुषो को इस समस्या के भाग के रूप मे जोड़ कर देखना होगा पितृसत्तात्मक सोच की मानसिकता मे बदलाव की आवश्यकता है। जिसकी शुरुआत स्वयं के घर से करनी होगी । तभी सही मायने मे इन इन प्रयोसो को सफलता मिलेगी।

[6] Gender Equality Programs in India | SDG 5 - UN India